2024/27

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री धीरेन्द्र असारसा
निवासी रोज व्यू
आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 07 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.02.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 21.12.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माह जून 2023 में बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति, जिन्होने भवन निर्माण के लिए आवेदन किया था, उनकी संख्या एवं कितने लोगों को उनकी मांग के अनुसार मरम्मत कार्य के लिए अनुमति दी गई एवं अस्वीकृत फाईलों की संख्या मय नोटशीट जिसमें अस्वीकृत किए जाने का कारण लिखा हो एवं कितनी फाईलों को आधिकारिक नोटशीट पर रोका गया है, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 21.12.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माह जून 2023 में बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति, जिन्होने भवन निर्माण के लिए आवेदन किया था, उनकी संख्या एवं कितने लोगों को उनकी मांग के अनुसार मरम्मत कार्य के लिए अनुमति दी गई एवं अस्वीकृत फाईलों की संख्या मय नोटशीट जिसमें अस्वीकृत किए जाने का कारण लिखा हो एवं कितनी फाईलों को आधिकारिक नोटशीट पर रोका गया है, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार [illegible] करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो [illegible] अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner